न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 40/2020

विष्णुदत पुत्र रामेश्वर लाल ब्रहाम्ण, निवासी छापोली, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।
–अपीलार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।
– रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी
उनवानी सरकार बनाम विष्णुदत अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 94/2019 निर्णय दिनांक 08.01.2020

उपस्थितिः–

1 श्री विजयपाल, एडवोकेट ----- ------ ---अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट---------------रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 11.11.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.01.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम विष्णुदत मु0नं0 94/2019 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 3382 रकबा 0.16 हैक्टर सरहद मौजा छापोली में से 131 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश पारित किए है। पटवार हल्का द्वारा पेश रिपोर्ट में तथाकथित अतिक्रमण स्थल की लम्बाई व चौड़ाई स्पष्ट नही है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिए बिना ही उक्त आलौच्य निर्णय पारित किया गया है। विवादित भूमि पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र उनवानी कानाराम बनाम विष्णुदत विचाराधीन है। जिसमें न्यायालय उपखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.23 10:47:51 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मुकदमा संख्या 270/2019 में दिनांक 18.11.2019 को मौके की यथास्थिति बनाये रखने के अंतरिम आदेश पारित हुए। उक्त आदेश की जानकारी रेस्पोडेन्ट को रही है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के यहां पूर्व में भी विवादित भूमि पर अतिक्रमण बाबत कानाराम शर्मा पुत्र सत्यनारायण द्वारा दिनांक 07.10.2019 को शिकायत दी गई थी जिसपर पटवारी हल्का/ गिरदावर छापोली की द्वारा जांच कर पेश की गई रिपोर्ट दिनांक 14.10.2019 में खसरा नम्बर 3382 पर अतिक्रमण नही होने व अपीलान्ट का कब्जा/निर्माण खसरा नम्बर 3381 होना पाया जाकर शिकायत झुठी पाई गई।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 3382 रकबा 0.16 हैक्टर सरहद मौजा छापोली में से 131 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश पारित किए है। पटवार हल्का द्वारा पेश रिपोर्ट में तथाकथित अतिक्रमण स्थल की लम्बाई व चौड़ाई स्पष्ट नही है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिए बिना ही उक्त आलौच्य निर्णय पारित किया गया है। विवादित भूमि पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र उनवानी कानाराम बनाम विष्णुदत विचाराधीन है। जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मुकदमा संख्या 270/2019 में दिनांक 18.11.2019 को मौके की यथास्थिति बनाये रखने के अंतरिम आदेश पारित हुए। उक्त आदेश की जानकारी रेस्पोडेन्ट को रही है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के यहां पूर्व में भी विवादित भूमि पर अतिक्रमण बाबत कानाराम शर्मा पुत्र सत्यनारायण द्वारा दिनांक 07.10.2019 को शिकायत दी गई थी जिसपर पटवारी हल्का/ गिरदावर छापोली की द्वारा जांच कर पेश की गई रिपोर्ट दिनांक 14.10.2019 में खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.23 10:47:51 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

नम्बर 3382 पर अतिक्रमण नही होने व अपीलान्ट का कब्जा/निर्माण खसरा नम्बर 3381 होना पाया जाकर शिकायत झुठी पाई गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 08.01.2020 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 3382 रकबा 0.16 हैक्टर सरहद मौजा छापोली में से 131 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी छापोली की रिपोर्ट दिनांक 22.11.2019 का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट द्वारा खसरा नंबर 3382 रकबा .16 हैक्टर किस्म गैर मु0 चारागाह में से 131 वर्गमीटर भूमि पर पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण करना बताया गया है जब कि इसी प्रकरण में पूर्व में कानाराम की शिकायत पर पटवारी हल्का व भू0अ0निरीक्षक छापोली के द्वारा जांच कर रिपोर्ट दिनांक 14.10.2019 पेश की गई में खसरा नम्बर 3382 पर अतिक्रमण नही होने व अपीलान्ट द्वारा निर्माण खसरा नम्बर 3381 होना पाया जाकर शिकायत झुठी पाई गई है। इस प्रकार उक्त दोनों रिपोर्ट विरोधाभाषी हैं तथा दोनों रिपोर्टों पर एक ही पटवारी व भू0अ0निरीक्षक के हस्ताक्षर हैं। अपीलांट का कथन है कि उसका मकान खसरा नंबर 3381 में निर्मित है नां कि खसरा नंबर 3382 में। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन रहा है कि जबतक यह तय नहीं हो जाता कि अपीलांट द्वारा निर्मित मकान किस खसरा नंबर में स्थित है। खसरा नंबर 3381 अपीलांट की खातेदारी भूमि है जबकि खसरा नंबर 3382 राजकीय भूमि है। हल्का पटवारी व भू0 अ0 निरीक्षक की उक्त दोनों रिपोर्ट विरोधाभाषी होने से पत्रावली पर यह स्पष्ट रूप से साबित नहीं होता कि अपीलांट का मकान राजकीय भूमि पर ही स्थित है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा सेटलमेंट विभाग से जीपीएस मशीन द्वारा नपती कराने का निवेदन किया गया। ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.23 10:47:51 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.01.2020 उनवानी सरकार बनाम विष्णुदत मु0नं0 94/2019 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार उदयपुरवाटी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विवादित भूमि का जी.पी.एस. मशीन द्वारा सेटलमेंट की टीम से नपती करवायी जाकर पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। नियमानुसार सेटलमेंट विभाग से नपती का चार्ज अपीलांट द्वारा जमा करवाया जायेगा। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 11.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.23 10:47:51 IST
Reason: SelfAttested